


न्यायालय : मानूनीय राजस्व मंडल प्रधानपदेश गवालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

मोप०।

निगरानी प्र०क०/

/016



Rs. 30/-

रु. 30/- ॥ 16
सीताराम यादव तनय चुनकु यादव निवासी ग्राम मठहा, तहसील सैमरिया
जिला रीवा, मोप०।

----- आवेदक

बनाम्

शासन मोप०

----- अनावेदक

श्री. संवेदन लगाए प्र०
दारा अ. 10
प्रस्तुत कि
दिनांक 08-7-16
रेक्टर कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आटे श नायव तहसीलदार वृत्त

गाव्हर दिनांक 13.05.016 जो प्रकरण क्र० 23-अ/

7/14-15 मे पारित किया जाकर आवेदका

आवेदन बावद इत्तलावी आदेश दिनांक 30.07.81

निरस्त किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप०भ०रा०स० 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

101। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नाधीन आदेश दिनांक 13.05.016 विधि स्वं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किस जाने योग्य है ।

102। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन बावद इत्तलावी आदेश दिनांक 30.07.08। को निरस्त करने मे एक महान् कानूनी भूल की है ।

103। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बातपर कठई गौर नहीं किया

निरस्त...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5303-II / 16

जिला—रीवा

सीताराम यादव / शासन म0प्र0

(1)	(2)
19.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सर्वन्द कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निर्गरानी नायब तहसीलदार, वृत्त शाहपुर, के प्रकरण क्रमांक 23/अ-74/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.07.81 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓ सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>